

## भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र

### प्रलमिस के लयि:

[H5N1, पशुधन कषेतर, एवयिन इन्फ्लुएंजा \(बरड फ्लू\), पर्यावरण परदूषण, गरीनहाउस गैस उत्सर्जन , 20वीं पशुधन जनगणना, केंद्रीय परदूषण नयितरण बोरड \(CPCB\)](#)

### मेन्स के लयि:

[भारतीय पोल्ट्री कषेतर के मुददे](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चरचा में कयों

हाल ही में [H5N1](#) वायरस के प्रकोप ने औद्योगिक पशुधन कषेतर में गंभीर कमियों को प्रकट किया है, जो भारत के पर्यावरण तथा कानूनी ढाँचे के भीतर पशु कल्याण के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की अनिवार्यता को रेखांकित करती हैं।

- यह प्रकोप वन हेल्थ सिद्धांत को मज़बूत करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और जैवविविधता संरक्षण को एकीकृत करता है।

### भारतीय पोल्ट्री उद्योग के समक्ष क्या समस्याएँ हैं?

- **रोग का प्रकोप और जैव सुरक्षा:**
  - **एवयिन इन्फ्लुएंजा:** एवयिन इन्फ्लुएंजा (बरड फ्लू) के नियमि प्रकोप से उत्पादन बाधित होता है, पक्षियों की मृत्यु हो जाती है तथा बाज़ार में खाद्य संबंधी भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे खपत प्रभावित होती है।
  - **न्यूकैसल रोग (ND):** ND एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पोल्ट्री स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है।
  - **जैव सुरक्षा संबंधी चर्चाएँ:** पोल्ट्री फॉर्मों एवं पक्षी बाज़ारों में पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय न होने से रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है।
  - **अन्य चर्चाएँ:** उच्च घनत्व वाले पोल्ट्री फॉर्मों में मुरगियों को अक्सर तार वाले पजिरों में कैद किया जाता है, जिनमें 'बेटरी पजिरों' के रूप में जाना जाता है, जिससे पोल्ट्री फॉर्मों में अतिसघनता और दबाव उत्पन्न होता है।
  - इस प्रक्रिया से वायु की गुणवत्ता खराब होती है, अपशिष्ट जमा होता है तथा [गरीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण एवं वरिपण में योगदान देता है।
- **बाज़ार में उत्तार-चढ़ाव और मूल्य अस्थिरता:**
  - **फीड मूल्य में उत्तार-चढ़ाव:** [मक्का](#) और [सोयाबीन](#) जैसे महत्वपूर्ण पोल्ट्री फीड सामग्री की अस्थिर कीमतें न केवल उत्पादन लागत को प्रभावित, बल्कि पोल्ट्री फीड सामग्री के आयात के कारण आयात निर्भरता बढ़ती है।
  - **उपभोक्ता मांग में उत्तार-चढ़ाव:** रोग के प्रकोप के समय पोल्ट्री उत्पादों के वषिय में भ्रूँतियाँ एवं गलत सूचना इनकी खपत में अत्यधिक कमी ला सकती है, जिससे समग्र बाज़ार स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति शृंखला की चुनौतियाँ:**
  - **सीमति कोलड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर:** यह चुनौती उत्पादन में खराबी और बर्बादी का कारण बनती है, विशेषकर उत्पादन स्तर में वृद्धि के दौरान।
  - **अव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला:** कई मध्यवर्ती संस्थाओं वाली अव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला लेन-देन की लागत बढ़ाती है जिससे किसानों का मुनाफा कम होता है, जबकि खराब परिवहन के कारण बुनियादी ढाँचा उत्पाद की आवाजाही को बाधित होती है, जिससे उत्पाद पहुँचाने का समय और उस उत्पाद की मूल अवस्था प्रभावित होती है।
- **नीति एवं नियामक मुद्दे:**
  - **असंगठित नियामक ढाँचा:** सरकार के विभिन्न स्तरों पर कई अतिव्यापी नियम पोल्ट्री किसानों के लिये भ्रम और अनुपालन चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  - **ऋण तक सीमति पहुँच:** छोटे और मध्यम स्तर के पोल्ट्री किसान अक्सर औपचारिक ऋण तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं, जिससे

विकास एवं आधुनिकीकरण में बाधा आती है।

- **श्रम चुनौतियाँ:** पोल्टरी फार्मों के लिये कुशल श्रमिकों को ढूँढना और उन्हें कार्य पर रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे परचालन दक्षता प्रभावित हो सकती है।

#### ■ अन्य मुद्दे:

- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** यदि अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ अपर्याप्त हैं तो पोल्टरी **उत्पादन जल प्रदूषण और वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं** में योगदान दे सकता है।
  - **प्रोटीन की बढ़ती मांग के कारण पोल्टरी में एंटीबायोटिक** दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **पशु कल्याण संबंधी चिंताएँ:** पूरे उद्योग में उचित पशु कल्याण मानकों को सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- **मुश्किल नक़्क़ास:** **अनुबंध खेती की व्यवस्था**, संचित ऋण और क्षेत्र के लिये आवश्यक वशेष कौशल के कारण पोल्टरी किसानों को अक्सर उद्योग से बाहर निकलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

## H5N1 एवयिन इन्फ़्लुएंज़ा का मुद्दा:

- **H5N1 एवयिन इन्फ़्लुएंज़ा** के प्रकोप ने **पशु कल्याण** पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **मनुष्यों में संक्रमण फैलने का पहला मामला:** मनुष्यों में H5N1 संक्रमण; सीधे मुरगियों द्वारा फैलने की पहली घटना वर्ष **1997** में **हॉन्गकॉन्ग** हुई थी।
- **भारत पर H5N1 का प्रभाव:** भारत ने वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में अपने पहले H5N1 रोगी की सूचना प्रदान की। इसके बाद दिसंबर 2020 और 2021 की शुरुआत में इसका प्रकोप 15 राज्यों में फैल गया, जो रोगजनक की व्यापक प्रकृतिको उजागर करता है।
- **H5N1 का वैश्विक प्रभाव:** H5N1 ने **प्रजातियों की बाधाओं को दूर करने की क्षमता** विकसित की है, जिससे **आर्कटिक क्षेत्र में कई ध्रुवीय भालुओं और अंटार्कटिका में सीलो व सीगलों** की मृत्यु हो गई, जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
- **मनुष्यों में H5N1 की मृत्युदर:** **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का अनुमान है कि वर्ष 2003 से दर्ज़ मामलों के आधार पर **H5N1 की मृत्यु दर 52%** है, जो मानव स्वास्थ्य के लिये गंभीर जोखिम को उजागर करता है।

## भारत में पोल्टरी पालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या हैं?

- **भारत में पोल्टरी पक्षियों की स्थिति:**
  - **20वीं पशुधन गणना** के अनुसार, भारत में 851.8 मिलियन पोल्टरी पक्षी हैं। भारत में लगभग 30% 'बैकयार्ड पोल्टरी' अथवा छोटे और सीमांत किसान हैं। पोल्टरी फार्मों में मुरगियाँ, टर्की, बत्खन, हंस आदि को मांस और अंडे के लिये पाला जाता है।
    - पोल्टरी की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और केरल हैं।
- **भारत में पोल्टरी इकाइयों की कानूनी स्थिति:**
  - **पोल्टरी किसानों के लिये दिशा-निर्देश, 2021:**
    - **पोल्टरी किसानों की नई परिभाषा:**
      - छोटे किसान: 5,000-25,000 पक्षी
      - मध्यम किसान: 25,000 से अधिक और 1,00,000 से कम पक्षी
      - बड़े किसान: 1,00,000 से अधिक पक्षी
    - मध्यम आकार के पोल्टरी फार्म की स्थापना और संचालन के लिये **जल अधिनियम, 1974** तथा **वायु अधिनियम, 1981** के तहत **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** अथवा समिति से सहमति का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसके लिये 15 साल की अनुमति दी गई है।
    - **पशुपालन विभाग** राज्य और ज़िला स्तर पर दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।
  - **अन्य प्रावधान:**
    - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** 5,000 से अधिक पक्षियों वाली पोल्टरी इकाइयों को **प्रदूषणकारी उद्योगों** के रूप में वर्गीकृत करता है, जो अनुपालन और नियामक सहमति के अधीन है।
    - **पशु कुरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960**, पशु कल्याण के महत्त्व को पहचानते हुए, मुरगियों सहित जानवरों को कैद करने पर रोक लगाता है।
    - वर्ष 2017 में **भारत के 269वें विधिविभाग की रिपोर्ट** ने मांस और अंडा उद्योगों में मुरगियों के कल्याण के लिये **ढाँचागत नियमों का प्रस्ताव** किया, जिसमें सुरक्षा खर्च उत्पादन के लिये बेहतर पशु कल्याण पर जोर दिया गया था।
      - सफ़ाई के बावजूद, वर्ष 2019 में **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा जारी अंडा उद्योग हेतु ढाँचागत नियमों को उचित नहीं माना गया है।
- **पोल्टरी उद्योग के लिये कुछ पहल:**
  - **पोल्टरी वैचर कैपिटल फंड (PVCF):** पशुपालन और डेयरी विभाग इसे **राष्ट्रीय पशुधन मशीन** के "उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन" (EDEG) के तहत कार्यान्वित कर रहा है।
  - **राष्ट्रीय पशुधन मशीन (NLM):** NLM के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिनमें **रूरल बैकयार्ड पोल्टरी डेवलपमेंट (RBPD)** और इनोवेटिव पोल्टरी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP) को लागू करने के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की

- **पशु रोग नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता (ASCAD) योजना:** ASCAD योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' (LH&DC) के तहत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पोल्टरी रोगों जैसे; रानीखेत रोग, संकरामक बरसल रोग, फाउल पॉक्स आदि के टीकाकरण को कवर करती है, जसिमें **एवयिन इंफ्लुएंज़ा (Avian Influenza)** जैसी आकस्मिक एवं वंदिशी बीमारियों का नियंत्रण और रोकथाम करना शामिल है।

- वैश्वकि प्राथमकिता के रूप में जैव सुरक्षा:

- **पृथक्करण:** वशिव के प्रमुख पोलटरी उत्पादक **फ्लॉक्स (पोलटरी के समूह)** को उनकी आयु और स्वास्थ्य स्थितिके आधार पर **अलग-अलग रखते हैं**, जिससे इनमें रोग संचरण का जोखिम कम हो जाता है।
  - इस प्रथा को भारत में **वभागीकरण पोलटरी कषेत्रों की स्थापना करके** या जैव-सुरक्षित सुवधियों के भीतर मल्टी ऐज रअरिंग (multi-age rearing) को प्रोत्साहित करके अपनाया जा सकता है।
- **टीकाकरण कार्यक्रम:** एचयिन इन्फ्लुएंज़ा और न्यूकैसल रोग जैसी प्रचलित बीमारियों के वरुद्ध टीकाकरण प्रोटोकॉल को अपनाना वशिव स्तर पर मानक उपाय है।
  - भारत अपने **राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों** को मज़बूत करके और छोटे पैमाने के किसानों तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करके लाभान्वित हो सकता है।

- **सटीक फीडिंग:** उन्नत फीडिंग प्रणालियाँ जो व्यक्तिगत पक्षी की जरूरतों के अनुकूल होती हैं और फीड उपयोग को अनुकूलित करती हैं, विश्व स्तर पर में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं।
  - भारतीय पोलटरी फार्मों को इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से, यहाँ तक कि छोटे संस्करणों में भी, फीड रूपांतरण दक्षता में सुधार हो सकता है और लागत कम हो सकती है।
- **पर्यावरण नगिरानी प्रणाली:** पोलटरी घरों में तापमान, आर्द्रता और अमोनिया के स्तर जैसे कारकों की वास्तविक समय की नगिरानी इष्टतम पक्षी स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण है।
  - कम लागत वाले सेंसर के माध्यम से भी, भारतीय खेतों में ऐसी प्रणालियों को लागू करने से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने और बीमारी के प्रकोप को रोकने में सहायता मिल सकती है।

- **अनुबंध खेती:** उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच अनुबंध फार्मिंग की व्यवस्था किसानों के लिये बाज़ार पहुँच और उचित मूल्य सुनिश्चित करती है।
- **कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर:** परिवहन और भंडारण के दौरान नुकसान को कम करने के लिये मज़बूत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना एक सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यास है।
  - भारत दूरदराज़ के उत्पादन क्षेत्रों को प्रमुख उपभोग केंद्रों से जोड़कर कुशल कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने को प्राथमिकता दे सकता है।

- सरकारी समर्थन, उद्योग सहयोग और किसान जागरूकता जैसी **बहुआयामी रणनीतियाँ** अपनाकर, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है।
- इससे सतत विकास, बढ़ी हुई जैव सुरक्षा, बढ़ी हुई दक्षता और वैश्विक बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला।

परशुन. भारतीय पोल्टरी क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में क्षेत्र के योगदान को सुनिश्चित करने के लिये नीतिगत हस्तकक्षेप एवं उद्योग पहल इन मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकते हैं?

**??????????:**

(a) एड्स (AIDS)  
(b) बर्ड फ्लू  
(c) डेंगू  
(d) स्वाइन फ्लू

उत्तर: (d)

**??????:**

प्रश्न. क्या एंटीबायोटिक्स का अतुल्य उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता, भारत में औषधि-प्रतिरोधी रोगों के अवर्धन के अंशदाता हो सकते हैं? अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रियावधियाँ उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indian-poultry-sector>

